18 फरवरी, 2019 ई०

सं० 4364/एस०बी०पी०आर०-उपविधि/2018-19--उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद भदोही के ग्रामीण क्षेत्रों (टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया एवं किसी विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास क्षेत्र को छोड़ते हुए) में किसी व्यापार, सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान/व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस शुल्क को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी है, जो संख्या 836(1)/एस०बी०पी०, दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 से लागू है, की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित निम्नलिखित मदों की दरों में संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम लागू समझी जाये। इस संशोधन उपविधि के जाता है। यह संशोधित उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू है, का संशोधित अंश होने के उपरान्त पूर्व प्रकाशित उपविधि को दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 से लागू समझा जाये।

उपविधि

जिला पंचायत, भदोही द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों एवं दुकानों तथा अन्य व्यवसायों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 2 (2) के अन्तर्गत उपनियम बनाया गया है जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर ने दि० 09 अक्टूबर, 2006 को किया है एवं इस उपनियम का प्रकाशन अधिनियम की धारा 242 की उपधारा 2 के प्रयोजन सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में है। इस उपनियम की धारा 11 में निर्धारित शुल्क की दरों में निम्नलिखित रूप संशोधन किये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2017 को पारित किया गया है।

उपनियम (संशोधन)

क्र० सं०	व्यवसाय का नाम	लाईसेंस शुल्क की वर्तमान दर	लाईसेंस शुल्क की प्रस्तावित संशोधित दर
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	कपड़े की छोटी दुकान	100.00	250.00
2	कपड़े की बड़ी दुकान	150.00	500.00
3	किराना या परचून की दुकान	50.00	200.00
4	गल्ला किराना की सम्मिलित दुकान	100.00	300.00
5	परचून गल्ला कपड़े की सम्मिलित दुकान	150.00	500.00
6	मिठाई की दुकान	50.00	200.00
7	चाय मिठाई की सम्मिलित दुकान	100.00	300.00
8	केवल चाय या पान की दुकान	100.00	100.00
9	चाय व पान की सम्मिलित दुकान	50.00	200.00
10	शरबत, लस्सी, कोल ड्रिंक की दुकान	50.00	200.00
11	घी, दूध, मक्खन, वनस्पति, सरसों व अन्य तेल की दुकान	50.00	300.00
12	स्टेशनरी की दुकान	50.00	200.00
13	मेडिकल स्टोर या दवा की छोटी दुकान	100.00	300.00
14	मेडिकल स्टोर या दवा की बड़ी दुकान	150.00	500.00
15	सोनारी व्यवसाय की दुकान	50.00	200.00
16	आभूषण की दुकान	180.00	500.00
17	जूते की छोटी दुकान	50.00	200.00
18	जूते की बड़ी दुकान	60.00	400.00
19	दर्जी की दुकान (एक मशीन)	50.00	100.00
20	दर्जी की दुकान (एक से अधिक मशीन)	60.00	300.00
21	सैलून या बढ़ई की दुकान	50.00	200.00
22	बिसातखाना या जनरल स्टोर की दुकान	50.00	200.00
23	लोहे की छोटी दुकान	50.00	200.00
24	लोहे की बड़ी दुकान	100.00	500.00
25	इमारती लकड़ी व फर्नीचर की दुकान	100.00	500.00

सत्य प्रति प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही

1	2	3	4
		रु०	रु०
26	आरा मशीन सहित लकड़ी की दुकान	180.00	500.00
27	जलावनी लकड़ी छोटी दुकान	50.00	100.00
28	ईंधन कोयले की दुकान, लकड़ी या स्टाल	180.00	400.00
29	बर्तन की दुकान	180.00	300.00
30	सिल्वर के बर्तन की दुकान	50.00	200.00
31	पेट्रोल या डीजल पम्प	750.00	2,000.00
32	पेट्रोल या डीजल की फुटकर दुकान	150.00	500.00
33	बालू, सीमेन्ट, मोरम, गिट्टी आदि की छोटी दुकान	180.00	500.00
34	बालू, सीमेन्ट, मोरम, गिट्टी आदि की बड़ी दुकान	300.00	1,000.00
35	साईकिल मरम्मत व पुर्जों की दुकान	50.00	100.00
36	साईकिल की बड़ी दुकान	75.00	500.00
37	मोटर साइकिल या मोटर या अन्य वाहनों की मरम्मत (साइकिल	90.00	300.00
	छोड़कर) की दुकान	60.00	200.00
38	कृषि सम्बन्धित मशनरी की दुकान	50.00	100.00
39	घड़ी मरम्मत की दुकान	75.00	200.00
40	घड़ी की बड़ी दुकान	100.00	500.00
41	बिजली के सामान रेडियो इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन एवं लाउडस्पीकर की दुकान	50.00	100.00
42	बिजली मरम्मत की दुकान	75.00	400.00
43	पेन्ट, वार्निस, चूना आदि की दुकान	1,500.00	2,000.00
44	कालीन, गलीचा, (पावर या अन्य विधि से) की दुकान	1,500.00	3,000.00
45	कारपेट एक्सपोर्ट हेड आफिस	1,000.00	2,000.00
46	कारपेट एक्सपोर्ट प्रत्येक ब्रान्च	150.00	500.00
47	कारपेट धुलाई प्लान्ट	750.00	1,000.00
48	काती रंगाई प्लान्ट (कूड़ा द्वारा)	1,500.00	3,000.00
49	काती डाई हाउस मशीन द्वारा	1,500.00	3,000.00
50	उलेन्स मिल्स	900.00	5,000.00
51	कोल्ड स्टोरेज पावर या अन्य विधि से	1,500.00	2,000.00
52	दरी एक्सपोर्ट	750.00	1,000.00
53	दरी कमीशन लोकल		2,000.00

द्वारा प्रतिस्थापित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही।

1	2	3	4
		रु0	रु0
54	गुलतराश कमीशन	150.00	200.00
55	दाल मिल्स (पावर या अन्य विधि से)	900.00	1,500.00
56	आटा चक्की	150.00	300.00
57	स्पेलर या हालर या धान कूटने की मशीन	75.00	300.00
58	खांड़ का व्यवसाय	150.00	300.00
59	कपड़ा पर छपाई या रंगाई	90.00	200.00
60	कार्ड पेपर छपाई (प्रिंटिंग प्रेस)	90.00	500.00
61	पावर या डीजल से चलने वाले कपड़ा लूम (प्रति लूम)	90.00	200.00
62	मिट्टी के तेल की फुटकर दुकान	90.00	500.00
63	इमारती पत्थर, पटीया, सुर्खी-चूना आदि की दुकान	90.00	500.00
64	कारपेट कमीशन लोकल	750.00	1,000.00
65	सुर्खी का व्यवसाय	150.00	300.00
66	सिनेमा घर	1,800.00	2,000.00
67	विडियो रिकार्डिंग/फिल्म का व्यवसाय	900.00	1,200.00
68	समस्त प्रकार के मीट की दुकान	90.00	400.00
69	मछली दुकान	50.00	200.00
70	आईसक्रीम कैंडी (मशीन)	50.00	500.00
71	राइस मिल मिनी	300.00	500.00
72	राइस मिल बड़ी	–	1,000.00
73	रंग-रसायन (बुकनी व केमिकल)	–	1,000.00
74	टू व्हीलर्स शो रूम	–	2,000.00
75	थ्री व्हीलर्स शो रूम	–	5,000.00
76	कार/फोर व्हीलर्स शो रूम	–	5,000.00
77	ट्रैक्टर/ट्रक शो रूम	–	5,000.00
	लाइसेंस सूची से छुटे हुए व्यवसायों की सूची जो निम्नवत् है–		
78	नर्सिंग होम/हास्पिटल/रिसर्च सेन्टर	–	3,000.00
79	पैथोलाजी/निदान जांच केन्द्र	–	500.00
80	अल्ट्रासाउन्ड/एक्सरे/सोनोग्राफी/डायोग्नोसिस सेन्टर	–	1,000.00
81	ढाबा/रेस्टोरेन्ट/होटल छोटा	–	500.00
82	ढाबा/रेस्टोरेन्ट/होटल बड़ा	–	1,000.00

छाया प्रति प्रमाणित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही

1	2	3	4
		रु0	रु0
83	आगा सूत डबलिंग मशीन	—	1,000.00
84	काती/ठरी/सूत/आगा की दुकान	—	200.00
85	गैस एजेन्सी/गोदाम	—	2,000.00
86	हार्डवेयर की दुकान	—	200.00
87	खराद मशीन/बिल्डिंग मशीन	—	200.00
88	लोहा बाक्स आलमारी की दुकान	—	300.00
89	मोटर गैरेज/डेन्टिग/पेन्टिग	—	500.00
90	कबाड़ की दुकान	—	300.00
91	फोटो स्टूडियो/फोटो स्टेट/विडियोग्राफी/मोबाइल कम्यूनेशन की दुकान	—	200.00
92	पालीथिन/प्लास्टिक का कारखाना/मिल्स	—	1,000.00
93	खादी बीज की दुकान	—	200.00
94	रुई धुनाई मशीन द्वारा	—	100.00
95	चूरा मशीन	—	100.00
96	लाई कारखाना/मशीन द्वारा	—	500.00
97	मेटल (पुरानी बैट्री गलाने का कारखाना)	—	1,500.00
98	बैट्री की दुकान	—	300.00
99	रेडिमेड गारमेन्ट की बड़ी दुकान	—	500.00
100	रेडिमेड गारमेन्ट की छोटी दुकान	—	300.00
101	सी0डी0/डी0वी0डी0 कैसेट की दुकान	—	100.00
102	दवाखाना/क्लीनिक	—	300.00
103	ब्यूटीपार्लर की दुकान	—	200.00
104	टेन्ट/शामियाना/किराया भण्डार	—	500.00
105	मुर्गा पोलट्री फार्म हाउस	—	500.00
106	अण्डा की फुटकर व छोटी दुकान	—	100.00
107	अण्डा थोक विक्रेता व बड़ी दुकान	—	200.00
108	फर्श (जमीन) पर बिछाने सम्बन्धित मैटिंग (मशीन द्वारा एवं अन्य विधि से)	—	2,000.00
109	कपड़ा से सम्बन्धित मिल्स/कारखाना (पावर या अन्य विधि से)	—	1,500.00
110	अन्य उद्योग जो मिल्स/कारखाना से सम्बन्धित हो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं है उससे संबंधित शुल्क	—	1,500.00
111	सड़क निर्माण से सम्बन्धित गिट्टी मिक्सर (गिट्टी एवं मैक्स फाल्ट) प्लान्ट		5,000.00

द्वारा प्रति प्रमाणित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत

1	2	3	4
		रु0	रु0
112	जनसेवा केन्द्र/इन्टरनेट सेन्टर	–	200.00
113	मोबाइल शाप की दुकान	–	250.00
114	मोबाईल रिचार्ज/साफ्ट लोडिंग/एसेसरीज/रिपेयर की दुकान	–	150.00
115	मिनरल वाटर पैकेजिंग प्लान्ट	–	500.00
116	शापिंग माल/शापिंग काम्पलेक्स	–	10,000.00
117	इनवर्टर बैट्री की एजेन्सी/अन्य विशिष्ट उत्पाद हेतु एजेन्सी	–	500.00
118	ग्रामीण बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र	–	500.00
119	साइबर कैफे/इन्टरनेट सुविधा	–	250.00
120	डी0जे0 साउन्ड/रोड लाईट	–	1,000.00
121	आर्केस्टा/डांस पार्टी	–	1,000.00
122	मैरिज हाल	–	1,000.00
123	अन्य व्यवसाय की दुकाने जो उपरोक्त वर्गीकरण मे नही है।	–	500.00

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।

छाया प्रति प्रमाणित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही

पी0एस0यू0पी0—49 हिन्दी गजट—भाग-3—2019 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 15 जुलाई, 2006 ई० (आषाढ़ 24, 1928 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्; खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड घ--जिला पंचायत

23 जून, 2006 ई०

सं० 439/एल० बी० ए०/2006--जिला पंचायत सन्त रविदास नगर, भदोही ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा चिमनी, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण करते हुये उपविधि बनाई गयी है। जिसे मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ पुष्टि कर दिया है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी।

उपविधि

1--कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था, सरकारी विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें बिना जिला पंचायत--सन्त रविदास नगर, भदोही से लाइसेन्स प्राप्त किये भट्ठों द्वारा या अन्य प्रकार से ईंट, टाईल्स, खपड़ा, चूना व सुर्खी का निर्माण न तो करेंगे और न ही करवायेंगे।

2--इस उपविधि के अन्तर्गत दिये जाने वाला अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा--

(अ) आबादी; सार्वजनिक इमारत; अस्पताल, विद्यालय, ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, से ईंट-भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना व सुर्खी के निर्माण का उद्योग 200 मीटर की दूरी के अन्दर न बनाया जायेगा न ही बनवाया जावेगा।

(ब) राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी ईंट भट्ठे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही ईंट, टाइल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी आदि बनाया जायेगा और न ही एकत्रित किया जायेगा और न उसके बनाने या निर्माण करने का प्रयत्न किया जायेगा।

(स-1) आम के बाग से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ईंटों के भट्ठे व टाइल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी उद्योग की दूरी 1.5 कि० मी० से कम नहीं होनी चाहिये और उत्तर-दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

(स-2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम के बागों या फलों बागों पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल

द्वारा प्रतिप्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही

अथवा अपना कोई भाग, को मिलाकर संयुक्त रूप से कोई एकक ही क्यों न हो। भाग के भट्ठों तथा उसकी चिमनियों (चिमनी) जो एक दूसरे से मिले हों, में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा।

(८) मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत इस उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी होंगे।

3—इस उपविधि के अन्तर्गत लाइसेन्सधारी को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही जिला पंचायत कार्यालय से प्रपत्र 25 जारी होगा।

4—व्यवसायी को मानक के अनुसार ईंट का निर्माण कराना आवश्यक होगा।

5—इस उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की अवधि वर्ष के एक अक्तूबर से आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक होगी।

6—इस उपविधि के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर अनुज्ञप्ति अधिकारी को अनुज्ञा-पत्र को निरस्त करने या निलम्बित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

7—अनुज्ञप्ति अधिकारी के किसी भी आदेश के विरुद्ध तीस दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत के समक्ष अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

8—अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर दिया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु रु0 20.00 (रुपये बीस) प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये रु0 10.00 (रुपये दस) प्रति आवेदन-पत्र होगा।

9—अनुज्ञा-पत्र हेतु दिये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ ईंट-भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, सुर्खी, चूना के बनाने के स्थल का राजस्व अभिलेख, जो छः माह से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे व्यक्ति से स्थल लिया जाना हो तो उसका इकरारनामा, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

10—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र या नवीनीकरण के लिये वार्षिक शुल्क निम्नवत् होगा—

		रु0 वार्षिक
(1)	चिमनी ईंट भट्ठा	6000.00
(2)	बिना चिमनी के ईंट भट्ठा	100.00
(3)	टाइल्स, खपड़ा	500.00
(4)	चूना, सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने हेतु	500.00
(5)	चूना, सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने हेतु	100.00

शुल्क जमाकर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने और यदि कार्य बराबर जारी रखना हो तो उसके नवीनीकरण का दायित्व भी व्यवसाय करने वाले पर ही होगा।

11—ईंट भट्ठा, चूना, सुर्खी, टाइल्स, खपड़ा बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय जिला पंचायत संतरविदास नगर, भदोही को दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हैं, तो पूर्व अनुज्ञा-पत्र की तिथि के समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12—कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इस उपविधि से संबंधित कोई ऐसी सूचना, जिसको अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्याधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिसकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गयी हो, मांगे तो देने से इंकार नहीं करेंगे।

13—ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्ठा या फर्म का नाम व उसका चिन्ह (मार्क) अंकित करना अनिवार्य होगा।

14—ईंट भट्ठा, सुर्खी, चूना, खपड़ा, टाइल्स निर्माण उद्योग के मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के इस उपविधि से सम्बन्धित किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरुद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

15—एक अक्तूबर से तीस अक्तूबर तक नवीनीकरण न कराने पर रु0 300.00 प्रतिमाह का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त अनुज्ञा-पत्र न लेने पर उक्त उद्योग के मालिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

16—यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

ह0 प्रति हस्ताक्षरित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इस उपविधि का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन 1000.00 रुपये (रुपये एक हजार) मात्र तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उन दिनों वह उल्लंघन करता रहा, रु0 50.00 (रुपये पचास) मात्र प्रतिदिन तक हो सकेगा तथा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जा सकेगा, जो तीन मास तक हो सकता है।

के0 एम0 पाण्डेय,
आयुक्त,
विन्ध्याचल मण्डल,
मिर्जापुर।

छाया प्रति प्रमाणित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत भदोही

पी0एस0यू0पी0—16 हिन्दी गजट—भाग 3—2006 ई0।

मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।